# अनुदान संख्या 3 – पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग
# GRANT No. 3–DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीक त- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 1030,72,00 | | 1140,76,00 | 1007,40,82 | –133,35,18 |
| पूरक | Supplementary | 110,04,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 124,86,14 |
| स्वीक त- | Voted– | | | 15,14,00 | 2,84,73 | –12,29,27 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 11,79,50 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (13335.18 लाख रु.) अगस्त 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 11004.00 लाख रु. के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीक त प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13335.18 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.11004.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | | |
| सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Secretariat – Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 1300.00 | 1235.60 | 1175.39 | –60.21 |
| पु. | R. | –64.40 | | | |

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन | Major Head "2403" Animal Husbandry | | | | | |
| मू. | O. | 24421.00 | | | | |
| पू. | S. | 10665.00 | | 43318.40 | 42781.34 | –537.06 |
| पु. | R. | 8232.40 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2404" डेरी विकास | Major Head "2404" Dairy Development | | | | | |
| मू. | O. | 25250.00 | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | 22962.59 | 22899.17 | –63.42 |
| पु. | R. | –2288.41 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन | Major Head "2405" Fisheries | | | | | |
| मू. | O. | 20691.00 | | 8445.08 | 8257.79 | –187.29 |
| पु. | R. | –12245.92 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 7900.00 | | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –7900.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 22336.00 | | | | |
| पू. | S. | 338.00 | | 24351.69 | 24350.63 | –1.06 |
| पु. | R. | 1677.69 | | | | |

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| शीर्ष | Head | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | |
| मू. | O. | 1174.00 | 1276.50 | 1276.50 | . . |
| पु. | R. | 102.50 | | | |

(I) 11010.00 लाख रु. का प्रावधान उनतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9610.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "पशु पालन - पशु और भैंस विकास" -

(i) "पशु और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 1100.00 लाख रु.;

(ii) "पशुधन बीमा के लिए राज्यों को सहायता" - 500.00 लाख रु.;

(ख) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु रोग नियंत्राण" - 1050.00 लाख रु.;

(ग) "पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरागाह विकास" - 300.00 लाख रु.

(घ) "पशु पालन - सूअर विकास" -

(I) Provision of Rs.11010.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty nine heads; of these Rs.9610.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Animal Husbandry – Cattle and Buffalo Development" –

(i) "National Project on Cattle & Buffalo Breeding" – Rs.1100.00 lakhs;

(ii) "Assistance to States for Livestock Insurance" – Rs.500.00 lakhs;

(b) "Animal Husbandry – Veterinary Services and Animal Health – Animal Disease Control" – Rs.1050.00 lakhs;

(c) "Animal Husbandry – Feed and Fodder Development – Feed and Fodder Development" – Rs.300.00 lakhs;

(d) "Animal Husbandry – Piggery Development" –

(i) ''एकीक त सूअर बाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' - 700.00 लाख रु.;

(ii) ''जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीक त विकास'' - 200.00 लाख रु.;

(ङ) ''पशु पालन - कुक्कुट विकास'' -

(i) ''कुक्कुट विकास के लिए सहायता'' - 700.00 लाख रु.;

(ii) ''ग्रामीण पिछला अहाता/कुक्कुट विकास'' - 600.00 लाख रु.;

(च) ''डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनांए'' -

(i) ''गहन डेरी विकास कार्यक्रम'' - 600.00 लाख रु;

(ii) ''डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि'' - 300.00 लाख रु; और

(छ) ''मत्स्य पालन - समुद्री मत्स्य पालन - मछुआरों का राष्ट्रीय काल्यण - 230.00 लाख रु; और

(ज) ''मत्स्य पालन - अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड'' - 900.00 लाख रु.।

उपर्युक्त बारह शीर्षो के अंतर्गत बचतें पूर्वोतर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ में संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रुप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''पशु पालन - सूअर बाड़ा विकास'' -

(i) "Assistance to States for Integrated Piggery Development" – Rs.700.00 lakhs;

(ii) "Integrated Development of Small Ruminants" – Rs.200.00 lakhs;

(e) "Animal Husbandry – Poultry Development" -

(i) "Assistance for Poultry Development" – Rs.700.00 lakhs;

(ii) "Rural Backyard Poultry Development" – Rs.600.00 lakhs;

(f) "Dairy Development – Dairy Development Projects" –

(i) "Intensive Dairy Development Progrmame" – Rs.600.00 lakhs;

(ii) "Dairy/Poultry Venture Capital Fund" – Rs.300.00 lakhs;

(g) "Fisheries – Marines Fisheries – National Welfare of Fishermen" – Rs.230.00 lakhs; and

(h) "Fisheries – Other Expenditure – National Fisheries Development Board" – Rs.900.00 lakhs.

Savings under the above twelve heads were due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Animal Husbandry –Piggery Development"-

(i) "एकीकृत सूअर बाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' - 400.00 लाख रु;

(ii) "जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास'' - 1200.00 लाख रु.; और

(ख) "पशु पालन - कुक्कुट विकास - ग्रामीण पिछला अहाता कुक्कुट विकास'' - 830.00 लाख रु.।

उपुर्यक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451'' - "सचिवालय - पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग'' के अंतर्गत 124.61 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2403'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु संगरोध प्रमाणीकरण सेवाएं'' - 209.01 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "पशु और भैंस विकास - केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म'' - 153.24 लाख रु. की बचत (1562.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उर्पयुक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(गा) "प्रशासिनक अन्वेषण और सांख्यिकी - पशुधन की गणना करने में बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' - 428.88 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावाधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यकलाप शुरु न किए जाने के कारण हुई।

(i) "Assistance to States for Integrated Piggery Development" –Rs.400.00 lakhs;

(ii) "Integrated Development of Small Ruminants"-Rs.1200.00 lakhs; and

(b) "Animal Husbandry - Poultry Development - Rural Backyard Poultry Development" - Rs.830.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-approval of the Scheme.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries" - saving of Rs.124.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts and austerity measures.

(III) Under Major Head "2403" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Veterinary Services and Animal Health – Animal Quarantine Certification Services" – saving of Rs.209.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(B) "Cattle and Buffalo Development - Central Cattle Breeding Farms" – saving of Rs.153.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1562.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to austerity measures.

(C) "Administrative Investigation and Statistics - Assistance to UTs without Legislature in Conduct of Livestock Census" - saving of Rs.428.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to non-taking up of activities by U.Ts.

(IV) मुख्य शीर्ष "2404" - "दिल्ली दुग्ध योजना" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2404" - "Delhi Milk Scheme"- savings occurred under the following heads:–

(का) "प्रशासन"- 375.95 लाख रु. की बचत (916.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Administration" – saving of Rs.375.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.916.00 lakhs) was due to austerity measures.

(खा) "अधिप्राप्ति"- 3132.81 लाख रु. की बचत (17509.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली दुग्ध योजना को कम राजस्व की प्राप्ति होने और व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(B) "Procurement" – saving of Rs.3132.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17509.30 lakhs) was due to less revenue receipt of DMS and restriction of expenditure.

(गा) "संसाधन"- 138.05 लाख रु. की बचत (2636.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों को न भरे जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(C) "Processing"- saving of Rs.138.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2636.50 lakhs) was due to non-filling up of posts and austerity measures.

(घा) "परिवहन"- 114.12 लाख रु. की बचत (543.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न संस्थानों के रख-रखाव/लघु निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(D) "Transport" – saving of Rs.114.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.543.70 lakhs) was due to less expenditure on maintenance/minor works of different Institutions and austerity measures.

(V) मुख्य शीर्ष "2405" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2405" - savings occurred under the following heads:–

(का) "समुद्री मछली पालन"-

(A) "Marine Fisheries –

(क) "भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण"- 513.32 लाख रु. की बचत (3365.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Fishery Survey of India" – saving of Rs.513.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3365.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and austerity measures.

(ख) "तट से दूर मछली पालन"- 231.50 लाख रु. की बचत (767.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "Off-shore Fisheries" – saving of Rs.231.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.767.00 lakhs) was due to austerity measures.

(ग) "अवतरण और लंगर डालने की सुविधाएं" - 350.12 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Landing and Berthing Facilities" – saving of Rs.350.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to less demand from different implementing agencies.

(खा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''आंकड़ा आधार का सुदृढ़ीकरण और सूचना तंत्रा'' - 166.10 लाख रु. की बचत (345.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड''- 11200.00 लाख रु. की बचत (14200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने और स्कीमों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखत शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरगाह विकास''- 308.06 लाख रु. की बचत (1240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं - गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ दूध के लिए आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण''- 885.42 लाख रु. की बचत (3350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पैर और मुंह के रोग नियंत्राण कार्यक्रम'' - 300.00 लाख रु० की बचत (695.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''पशु पालन - भेड़ और उन विकास - पशुओं की लुप्त होने वाली नस्लों का संरक्षण''- 149.75 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Strengthening of Data base and information Networking" - saving of Rs.166.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.345.00 lakhs) was due to austerity measures.

(b) "National Fisheries Development Board" - saving of Rs.11200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14200.00 lakhs) was due to less demand from different implementing agencies and late approval of the schemes.

(VI) Under Major Head "3601" -savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes" –

(a) "Animal Husbandry - Feed and Fodder Development - Feed and Fodder Development" - saving of Rs.308.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1240.00 lakhs);

(b) "Dairy Development- Dairy Development Projects - Strengthening Infrastructure for Quality & Clean Milk"- saving of Rs.885.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3350.00 lakhs);

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health - Foot and Mouth Disease Control Programme" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.695.00 lakhs); and

(b) "Animal Husbandry- Sheep and Wool Development - Conservation of Threatened Livestock Breeds" - saving of Rs.149.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

(VII) छह शीर्षों के अंतर्गत 458.25 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीक त प्रावधान का 11 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10814.64 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 9342.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2403''-

(क) ''पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र''- 479.58 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 477.42 लाख रु. था।

(ख) ''पशु और भैंस विकास - पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना''- 1480.82 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1480.63 लाख रु. था।

(ग) ''कुक्कुट विकास''-

(i) ''कुक्कुट विकास के लिए सहायता''- 3725.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3724.00 लाख रु. था।

(ii) ''ब्याज सहायता के माध्यम से कुक्कुट विकास के लिए सहायता''- 2700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2699.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2404'' - ''डेरी विकास परियोजनाएं - सघन डेरी विकास कार्यक्रम''- 1491.59 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1489.45 लाख रु. था।

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage.

(VII) Under six heads savings of Rs.458.25 lakhs occurred, each exceeding Rs 50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 79 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.10814.64 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.9342.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2403"-

(a) "Veterinary Services and Animal Health – National Veterinary Biologicals Products Quality Control Centres"- Rs.479.58 lakhs. Actual excess, however, was Rs.477.42 lakhs.

(b) "Cattle and Buffalo Development - National Project for Cattle and Buffalo Breeding" - Rs.1480.82 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1480.63 lakhs.

(c) "Poultry Development" –

(i) "Assistant for Poultry Development"- Rs.3725.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3724.00 lakhs.

(ii) "Assistance for Poultry Development by way of interest subvention"- Rs.2700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2699.00 lakhs.

(B) Major Head "2404" – "Dairy Development Projects – Intensive Dairy Development Programme" – Rs.1491.59 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1489.45 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - अंतर्देशीय मछली पालन - अंतर्देशीय जलसंवर्धन और मछली पालन का विकास''- 937.65 लाख रु.।

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Fisheries - Inland Fisheries - Development of Inland Aquaculture and Fisheries" - Rs.937.65 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2403'' - ''पशु और भैंस विकास - पशु बीमा के लिए बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता''- 659.83 लाख रु. का अधिक व्यय (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2403"- "Cattle and Buffalo Development - Assistance to UT's without legislature for livestock Insurance" – excess of Rs.659.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2405'' - ''विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय मछली पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान''- 178.93 लाख रु. का अधिक व्यय (815.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने वाले पोतों को शुष्क गोदी में ठहराए जाने/मरम्मत किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2405" – "Extension and Training - Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training"- excess of Rs.178.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.815.00 lakhs) was due to dry dicing /repair of Fishing vessels.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(C) Major Head "3601" –

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं - गहन डेरी विकास कार्यक्रम''- 170.21 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Grants for Central Plan Schemes – Dairy Development - Dairy Development Projects - Intensive Dairy Development Programme" - excess of Rs.170.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs ) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(क) ''पशु पालन - पशु और भैंस विकास'' -

(i) "Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development" –

(1) ''मुख्य पशुधन उत्पाद के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीक त प्रतिदर्श सर्वेक्षण''- 238.00 लाख का अधिक व्यय (390.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(1) "Integrated Sample Survey on Estimation of Production of Major Livestock Product"- excess of Rs.238.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.390.00 lakhs) was due to more demand from States Governments.

(2) ''पशुओं की गणना करने में राज्यों को सहायता'' - 285.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) "Assistance to States in Conduct of Livestock Census" - excess of Rs.285.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs);

(ii) ''पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य'' -

(ii) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health" –

(1) ''पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 208.94 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) पशु प्लेग के अंतर्गत निगरानी कार्यकलाप करने के लिए राज्यों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(1) "National Project on Rinderpest Eradication" - excess of Rs.208.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to more demand from states for carrying out surveillance activities against Rinderpest.

(2) ''राज्य पशु चिकित्सा परिषदों की स्थापना''- 125.00 लाख रु. का अधिक व्यय (120.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) राज्य पशु चिकित्सा परिषद कार्यालय की स्थापना और परिचालन के लिए राज्यों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(2) "Setting up of State Veterinary Councils - excess of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.120.00 lakhs) was due to more demand from states for setting and running State Veterinary Council Office.

(3) ''पशु रोग नियंत्राण''- 1766.08 लाख रु. का अधिक व्यय (5356.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) स्कीमों में निधियां जारी किए जाने के लिए राज्यों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(3) "Animal Disease Control" - excess of Rs.1766.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5356.00 lakhs) was due to more demand from states for release to schemes.

(ग) ''पशु पालन - कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास के लिए सहायता''- 798.50 लाख रु. का अधिक व्यय (1690.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) पूर्वोतर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने के कारण हुआ।

(c) "Animal Husbandry - Poultry Development - Assistance for Poultry Development- excess of Rs.798.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1690.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घ) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन''-

(i) "समुद्री मछली पालन अवसंरचना और पश्च फसल का विकास''- 499.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तमिलनाडु की सरकार से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण''- 569.99 लाख रु. का अधिक व्यय (1540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित प्रस्तावों का समाशोधन किए जाने के लिए अधिक निधियों की मांग किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602'' - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - समुद्री मछली पालन - मुख्य और लघु पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए अवतरण और लंगर डालने की सुविधाएं''- 499.00 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांडिचेरी सरकार से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 309.57 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत से 199 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(d) "Fisheries - Marine Fisheries" –

(i) "Development of Marine Fisheries Infrastructure and post harvest" - excess of Rs.499.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to higher demand from Government of Tamil Nadu.

(ii) "National Welfare of Fishermen" - excess of Rs.569.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1540.00 lakhs) was due to more demand of funds for clearance of pending proposals.

(D) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan schemes – Fisheries - Marine Fisheries – Landing and Berthing facilities for Fishing Crafts at Major and Minor Ports" - excess of Rs.499.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to higher demand received from the Government of Pondicherry.

(III) Under four heads excess of Rs.309.57 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 27 percent to 199 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4405'' मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries | | | | |
| मू. | O. | 1414.00 | 234.50 | 189.16 | –45.34 |
| पु. | R. | –1179.50 | | | |

(I) 1217.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1215.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पालन''- 700.00 लाख रु. मछली पकड़ने वाले पोतों की खरीद न किए जाने और न्यायालय के आदेश द्वारा सुविधा केंद्र के निर्माण पर रोक लगा दिए जाने के कारण थे।

(खा) ''विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय मछली पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान''- 515.00 लाख रु. मछली पकड़ने वाले पोतों की खरीद के मूर्तरूप न लेने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.1217.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1215.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(A) “Marine Fisheries - Deep Sea Fisheries” - Rs.700.00 lakhs- due to non-purchase of fishing vessels and stay order on construction facility centre by the Court order.

(B) “Extension and Training –Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training”- Rs.515.00 lakhs-due to non-materialisation of purchase of fishing vessels and slow progress of work by the Central Public Works Department.